स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>प्रेस नोट संख्याः 168, दिनांक 31—05—2025</u>

अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 तस्कर 53 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 26,50,000/—रूपये) के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 31—05—2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 तस्कर को 53 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 26,50,000/— रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—</u>

1— राजेन्द्र यादव पुत्र स्व0 नोपई यादव नि0—भैंसार, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ।

<u>बरामदगी—</u>

1— अवैध गांजा लगभग 53 किलो 200 ग्राम (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 26,50,000/— रूपये)

2— 01 अदद पिकप वाहन संख्या UP54 AT 3297

<u>गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय—</u>

मुबारकपुर तिराहा थानाक्षेत्र जीयनपुर, आजमगढ, दिनांक 31—05—2025, समय करीब 01:55 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाए प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री प्रमेष कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में एसटीएफ टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 30—05—2025 को अभिसूचना संकलन के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्यों द्वारा असम से अवैध गांजा कुरियर के माध्यम से आजमगढ भेजने वाले हैं। इस सूचना पर उपनिरीक्षक जावेद आलम सिददीकी के नेतृत्व में मु0आ0 मृत्युंजय सिंह, मु0आ0 यषवन्त सिंह, मुख्य आरक्षी चालक नागेष मिश्रा की एक टीम अभिसूचना संकलन हेतु जनपद आजमगढ में भ्रमणषील थी तभी मुखबिर द्वारा वही पर आकर सूचना दी गयी कि एक पिकअप आजमगढ की तरफ से आयेगी और जो मनिकाडीह की तरफ जायेगी, जिसमें कोरियर का सामान लदा हुआ है, जिसमें अवैध गांजा मौजूद है। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुये स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुये मुखबिर को साथ लेकर उक्त स्थान पर पहुंचे एवं मुखबिर की निषादेही पर उक्त पिकअप को पकड कर तलाषी ली गयी, जिसमे उपरोक्त अवैध गांजे की बरामदगी हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसका लडका विजय यादव असम से प्रवित्र वर्मन निवासी बरपेटा रोड असम द्वारा कोरियर कम्पनी के माध्यम से बांस की डिलीवरी के नाम पर उनके अन्दर गांजा छिपवाकर मंगवाता है, जिससे किसी को शक भी

नही होता है और कम पैसों में गांजा मंगाकर हम अत्यधिक धन अर्जन करते है। मैं काफी दिनो तक असम मे रहा हूं तथा वहां से अलग–अलग प्रकार के माल की डिलीवरी कोरियर से मंगाता था। आज दिनांक 30–05–2025 को जो गांजा कोरियर कम्पनी लेकर आयी थी वह मेरे लडके विजय यादव ने मंगवाया था। इस अवैध गांजे की सप्लाई का काम हम लोग काफी समय से कर रहे थे।

विजय यादव व कोरियर कम्पनी व कोरियल डिलीवर करने वालो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0–199/2025 धारा–8/20/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय द्वारा सम्पादित की जा रही है।